न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

दर्ज दिनांक : 20.08.2015

वाद पत्र सं. : 2015/08

1. अमरसिंह पुत्र श्री मेघसिंह जाति राजपूत निवासी रिड़खला तहसील व जिला चूरू (राज.)

–अपीलांट–

बनाम

1. सुशीला कंवर बेवा महावीरसिंह जाति राजपूत निवासी रिड़खला तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. डिम्पल कंवर पुत्र महावीरसिंह जाति राजपूत निवासी रिड़खला तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. दिनेश कुमार सिंह पुत्र महावीरसिंह जाति राजपूत निवासी रिड़खला तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. महेश कुमार सिंह पुत्र महावीरसिंह जाति राजपूत निवासी रिड़खला तहसील व जिला चूरू(राज.)
5. ग्राम पंचायत आसलखेड़ी तहसील व जिला चूरू जरिये सरपंच

–रेस्पोडेन्ट–

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री विनोद कुमार सोनी
अप्रार्थीगणः–श्री सुरेन्द्र कुमार डूडी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 75
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

निर्णय दिनांक : 06.05.2026

1. आज यह पत्रावली अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि आदेश व निर्णय जेर अपील खिलाफ कायदा खिलाफ वाकेयात मिसल व न्याय विरूद्ध होने के कारण कायम रहने योग्य नहीं है और निरस्त किए जाने योग्य है।
2. खेत खसरा संख्या 96, 97, 124, 126, 128 एवं 287 कुल खसरा 6 तादादी 83 बीघा 16 बिश्वा रोही ग्राम रिड़खला तहसील व जिला चूरू में अपीलांट के भाई अनाडसिंह पुत्र मेघसिंह का 261/4 हिस्सा राजस्व अभिलेख में खातेदारी में अंकित था। अनाडसिंह बचपन में ही गृहस्थ जीवन छोड़कर सन्यासी बन गया था व उनकी शादी [illegible] कुंवारे ही रहे थे। अनाडसिंह का देहांत दिनांक 13.06.1997 को हो गया। अनाडसिंह के [illegible] के पश्चात ग्राम पंचायत आसलखेड़ी के द्वारा उनके हिस्से की 261/4 खातेदारी [illegible] से अपीलांट के भाई भोपालसिंह के मृत पुत्र महावीरसिंह के वारिसान [illegible] के नाम से दिनांक 21.8.12 को स्वीकृत कर दिया जिस इंतकाल आदेश के विरुद्ध यह अपील प्र[illegible] की जा रही है।
3. अनाडसिंह पुत्र मेधसिंह बचपन में ही साधू हो गया था तथा गृहस्थ जीवन [illegible] दिया था। उपरोक्त वादगत कृषि भूमि के बाबत दावा अनवानी दुलेसिंह बनाम अमरसिंह वगैरा व अमरसिंह बनाम दुलेसिह

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:33:59 IST
Reason: SelfAttested

वगैरा अदालतवाला में चल रहे थे अब भी इस जमीन के बाबत अपील राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के न्यायालय में चल रही हैं ऐसी स्थिती में मामला विवादित था तथा विवादित मामले में गाम पंचायत को निर्णय करने का अधिकार नहीं होता है धारा 135(2) आर. एल. आर. एक्ट के तहत संबंधित तहसीलदार ही निर्णय कर सकता है। इस प्रकार से ग्राम पंचायत मातहत ने अपने क्षेत्राधिकार का गलत प्रयोग कर इंतकाल जेर अपील पारित किया है इसलिए निर्णय जेर अपील निरस्त किए जाने योग्य है।

4. अनाडसिंह के कोई प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी नहीं थे तथा उनके प्राकृतिक वारिस भाई होने के कारण अपीलांट व भोपालसिह जेसूसिंह एवं एक भाई भानीसिह के फौत होने के कारण उनके वारिस होते है। तथा इन्ही के नाम इंतकाल तस्दीक होना चाहिए था मगर ग्राम पंचायत मातहत ने बिना सुनवाई व नोटिस दिए बाला बाला ही इंतकाल तस्दीक कर दिया जो तमाम कार्यवाही Natural justice के विरूद्ध होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।

5. मृतक खातेदार अनाडसिंह सन्यासी था तथा वे गृहस्थ जीवन मे कभी नहीं रहे न ही खेती या घरेलू कार्यों में कभी रहे थे। सन्यासी के रूप में वे आजीवन घर से अलग ही मंदिर डेरा आदि मे रहते रहे थे। महावीरसिह को गलतरूप से गोदपुत्र मानकर रेस्पोडैन्ट सं 1 से 4 के नाम से इंतकाल गलत तस्दीक किया गया। साधू सन्यासी पुत्र गोद नही ले सकते है वे मात्र डेरा या मठ के चेले नियुक्त कर सकते है। महावीरसिह के नाम से गोदनामा फर्जी व गैरकाननी तैयार करवाया गया था। इस प्रकार से ऐसे दस्तावेज के आधार पर तस्दीक किया गया इंतकाल आदेश कायम रहने योग्य नही है और निरस्त किए जाने योग्य है।

6. अन्य तथ्य अपील वरवक्त बहस अर्ज किए जावेंगे।

अदालत मातहत अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में स्थित है इसलिए अदालतवाला को अपील हाजा के श्रवणाधिकार प्राप्त है तथा अपील मुकर्रर शुदा कोर्टफीस पर हर प्रकार से अंदर मियाद प्रस्तुत है।

अतः अपील हाजा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे एवं ग्राम पंचायत आसलखेडी तहसील चूरू द्वारा इंतकाल सं 536 ग्राम रिडखला तहसील चूरू को तस्दीक करने का आदेश दिनांक 21.8.12 निरस्त फरमाया जावे एंव अपीलांट व अन्य भाइयो के विरासतन इंतकाल तस्दीक करने का आदेश फरमाया जावे। बडी कृपा होगी।

7. प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार डूडी ने वकालतनामा पेश किया।

8. आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. : अपीलीय न्यायालय ने न्यायहित में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त दस्तावेजों (पूर्व निर्णय की प्रति, गोदनामा व राशन कार्ड) को रिकॉर्ड पर लेना न्यायोचित माना है, क्योंकि ये विवाद के वास्तविक निस्तारण हेतु आवश्यक हैं।

9. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट रेस्पोडेन्ट की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया इसलिए जवाब बन्द किया जाकर पत्रावली में सीधे बहस सुनी गई।

- अपीलांट के अधिवक्ता ने दौराने बहस [illegible] कि मृतक खातेदार उनाड़सिंह बचपन से ही गृहस्थ जीवन त्यागकर [illegible] अविवाहित रहे और उनका परिवार से कोई संबंध नहीं था । [illegible] कोई प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी नहीं था, अतः उनके विधिक वारिस उनके भाई (अमरसिंह व अन्य) ही होते हैं। एक साधु–सन्यासी पुत्र गोद नहीं ले सकता, वे केवल डेरा या मठ के चेले नियुक्त कर सकते हैं । अप्रार्थी द्वारा महावीरसिंह के पक्ष में पेश किया गया गोदनामा पूर्णतः फर्जी व गैर–कानूनी है जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:33:59 IST
Reason: SelfAttested

केवल संपत्ति हड़पने हेतु तैयार किया गया है। जब भूमि के स्वामित्व को लेकर राजस्व न्यायालयों में अपील लंबित थी, तब मामला विवादित श्रेणी में आता था । ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत को नामांतरण स्वीकृत करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था । साथ ही, अपीलांट को बिना कोई नोटिस दिए बाला–बाला नामांतरण तस्दीक करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है । अतः अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

- रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि उनाड़सिंह कभी साधु नहीं बने थे, बल्कि वे धार्मिक प्रवृत्ति के गृहस्थ थे । उन्होंने दिनांक 23.12.1988 को महावीरसिंह को विधिवत पंजीकृत गोदनामा के माध्यम से गोद लिया था । कानूनन, एक पंजीकृत दस्तावेज की वैधता स्वतः सिद्ध होती है जब तक कि उसे किसी सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त न किया जाए । अधिवक्ता ने पत्रावली पर उपलब्ध राशन कार्ड संख्या 327 का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट रूप से उनाड़सिंह को महावीरसिंह का पिता दर्शाया गया है । इसी विवाद और इसी गोदनामे के संबंध में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत एक अन्य दावा संख्या 337/2016 को न्यायालय द्वारा दिनांक 07.08.2018 को पहले ही खारिज किया जा चुका है । उस निर्णय में महावीरसिंह को वैध दत्तक पुत्र माना गया था, अतः वर्तमान अपील खारिज किये जाने योग्य है।

10. मैंने प्रकरण अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा दौराने बहस दिये गये तर्क, उपलब्ध दस्तावेजों तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया।
11. पंजीकृत गोदनामा : रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत गोदनामा दिनांक 23.12.1988 उप–पंजीयक, चूरू के कार्यालय में पंजीकृत है। कानूनन, एक पंजीकृत दस्तावेज की वैधता तब तक बनी रहती है जब तक कि किसी सिविल कोर्ट द्वारा उसे निरस्त न कर दिया जाए। अपीलांट उक्त गोदनामे को अवैध सिद्ध करने में विफल रहा है।
12. दस्तावेजी साक्ष्य : रेस्पोडेन्ट ने राशन कार्ड संख्या 327 और अन्य रिकॉर्ड पेश किए जिनमें उनाड़सिंह को महावीरसिंह का पिता दर्शाया गया है। इसके विपरीत, अपीलांट उनाड़सिंह के 'सन्यासी' होने का कोई पुख्ता दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका।
13. पूर्व निर्णय का प्रभाव : न्यायालय ने पाया कि अपीलांट द्वारा इसी प्रकार का एक अन्य दावा (संख्या 337/2016) पूर्व में दिनांक 07.08.2018 को खारिज किया जा चुका है, जिसमें महावीरसिंह को उनाड़सिंह का वैध दत्तक पुत्र माना गया था।
14. उपरोक्त तथ्यों एवं विधिक विवेचना के आधार पर यह न्यायालय निम्नलिखित आदेश पारित करता है :–

आदेश दिया जाता है कि

प्रार्थी/अपीलांट प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 उपर्युक्त कारणों के आधार पर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 06.05.2026 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:33:59 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार–I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)